राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 08, 2024

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, क्रियाशील यान की समाप्ति पर मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एकबारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इसके द्वारा छूट देती है, अर्थात्:-

(i) यदि ऐसा यान 31.03.2025 तक रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा (र.या.स्क्रे.सु.) पर स्क्रेपिंग के लिए जमा करा दिया जाता है और शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एकबारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा (र.या.स्क्रे.सु.) पर यान के जमा किये जाने से पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) पूर्व में संदत्त मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार, शास्ति या ब्याज, यदि कोई हो, की रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा; और

(iii) यदि ऐसी छूट के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, परिवहन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "क्रियाशील यान की समाप्ति" और "रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रेपिंग सुविधा" का वही अर्थ होगा जो मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 में यथा परिभाषित है।

[प.6(179)परि/कर/मु./2024-25/4]

राज्यपाल के आदेश से,

(सोहन लाल मीना)

उप शासन सचिव